संख्या-128/2015/आर-3853/26-3-2015-रिट(16)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर, 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-31031/2014 यू0पी0 कालेज आफ पालीटेक्निक फार रिसर्च, सहारनपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.07.2015 एवं रिट याचिका संख्या-1008/2014 स्व0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह महाविद्यालय, कुन्दा भैरवपुर, सुल्तानपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.02.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2369/स.क./शिक्षा/2015-16/लखनऊ, दिनांक-09.10.2015 एवं निदेशालय पत्रांक-2665/स0क0/शिक्षा/2015-16 दिनांक-30.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक-28.07.2015 एवं दिनांक-18.02.2014 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर शुल्कप्रतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपया-176.27884 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः-

क्रस.	शिक्षण संस्था का नाम/जनपद	धनराशि (रूपया लाख में)
	यू0पी0 कालेज आफ पालीटेक्निक फार रिसर्च, सहारनपुर	रूपया-74.48 (रूपया चौहत्तर लाख अड़तालिस हजार मात्र)
	स्व0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह महाविद्यालय, कुन्दा भैरवपुर, सुल्तानपुर	रूपया-101.79884 (रूपया एक करोड़ एक लाख उन्यासी हजार आठ सौ चैरासी मात्र)
	कुल योग	**रूपया**-176.27884

(कुल रूपया- एक करोड छियत्तर लाख सत्ताईस हजार आठ सौ चौरासी मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-128/2015/आर-3853/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर/सुल्तानपुर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।